अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2024(GCMS 2024/6)(आईटीआई पोर्टल नं. 212677562858596) लखवीर सिंह पुत्र मनी सिंह निवासी 24 एमएल पो/ओ 09 एमएल लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 90019–15007) <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

<u>11.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.11.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समयावधि में उपलब्ध नही करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगांगनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

> आवेदक लखवीर सिंह पुत्र स. मनी सिंह, चक 24 एमएल पो. ओ. 9 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर थाना चूनावढ़ द्वारा नये हथियार लाईसेंस के लि[illegible] सन् 2019–2020 में जो आवेदन किया [illegible] आवेदन दिनांक से आज दिनांक 17.11.2023 [illegible] कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति। (2 सैट)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/ वाचक/24/37 दिनांक 10.01.2024 एवं से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था तथा दिनांक 07.02.2024 को श्री प्रवीण, कनिष्ठ सहायक, अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में उपस्थित हुए थे, उन्हें भी अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय रिकॉर्ड पेश करने हेतु आदेशित किया थो, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए प्रार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं निर्णय की प्राप्ति के 05 दिवस में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested